(भारत के राजपत्र भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ)

फाइल सं. एस-11011/03/2016-एसबीएम

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

******

नई दिल्ली, दिनांक: 11फरवरी, 2016

अधिसूचना

विषय : राष्ट्रीय स्वच्छता कोष (आरएसके) का गठन

भारत सरकार ने वर्ष 02 अक्टूबर, 2019 तक स्वच्छ भारत की प्राप्ति के लक्ष्य के साथ **दिनांक 02 अक्टूबर, 2014 को 'स्वच्छ भारत मिशन'** की शुरूआत की थी। स्वच्छ भारत मिशन में दो उप-मिशन शामिल हैं :-

i. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) - इस मिशन का लक्ष्य ग्राम पंचायतों को खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ) बनाकर तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर में सुधार लाना है। यह पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशासित है, और;

ii. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) - इस मिशन का लक्ष्य शहरी क्षेत्र को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाकर तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर में सुधार लाना है। यह शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशासित है।

2. स्वच्छ भारत मिशन के वित्तपोषण के संसाधनों में वृद्धि हेतु भारत सरकार ने वर्ष 2015-16 के केंद्रीय बजट के माध्यम से सभी अथवा कुछ सेवाओं पर 2 प्रतिशत तक अथवा कम 'स्वच्छ भारत उपकर' लगाने का प्रावधान किया है।

3. इस प्रावधान के अनुसरण में भारत सरकार ने दिनांक 06 नवंबर, 2015 की अधिसचूना संख्या 22/2015-सेवा कर के माध्यम से सेवा कर योग्य सभी सेवाओं पर दिनांक 15.11.2015 से 0.5 प्रतिशत स्वच्छ भारत उपकर लगाया है।

4. स्वच्छ भारत उपकर से प्राप्त राशि के लिए भारत के सार्वजनिक खाते के गैर-ब्याज खंड में एक समर्पित, गतावधि न होने वाली निधि गठित की गई है, जो प्रमुख शीर्ष '8235-सामान्य एवं अन्य रक्षित निधियाँ' के अंतर्गत नए लघु शीर्ष नामत: **'राष्ट्रीय स्वच्छ कोष'** के अंतर्गत जमा होगी।

5. राष्ट्रीय स्वच्छता कोष (आरएसके) में जमा राशि का विभाजन 80/20 के अनुपात में क्रमश: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) इन दो उप मिशनों के बीच किया जाएगा।

6. उपकर की प्राप्ति को 'राष्ट्रीय स्वच्छता कोष' में अंतरित किया जाएगा और उसका उपयोग संसद द्वारा विनियोजित प्राधिकरण द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तथा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के दिशा-निर्देशों और घटकों के अनुसार किया जाएगा।

7. उपकर की प्राप्तियों को आरएसके में अंतरित करने की लेखा-प्रक्रिया लेखा महानियंत्रक एवं शहरी विकास मंत्रालय के परामर्श से पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा तैयार की जाएगी।

8. आरएसके के व्यय की निगरानी संबंधित मंत्रालयों (पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय) की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से की जाएगी। आरएसके के खाते की आंतरिक और वित्तीय लेखा परीक्षा की जाएगी।

9. राष्ट्रीय स्वच्छता कोष का गठन इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन से प्रभावी होगा।

Sd/-
(निपुण विनायक)
निदेशक

सेवा में

प्रबंधक
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद, हरियाणा

एन.ओ.ओ.

प्रति :

i. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (सूची के अनुसार)।
ii. लेखा महानियंत्रक, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।
iii. प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा, ईएंडएस मंत्रालय, एजीसीआर भवन, नई दिल्ली।
iv. महानिदेशक (मीडिया और संप्रेषण), प्रेस सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
v. निदेशक, आईएफडी, एमडीडब्ल्यूएस।
vi. तकनीकी निदेशक (एनआईसी) एमडीडब्ल्यूएस-वैबसाइट पर डालने हेतु।
vii. गार्ड फाइल।

निपुण विनायक
(निपुण विनायक)
निदेशक